म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/भुगतान/369/748 भोपाल,दिनांक 08/12/2020

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....समस्त।

विषयः—मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियो को नकद आहरण पर टी.डी.एस. से छूट के संबंध मे।

संदर्भः—1/ कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/नगद भुगतान/2739 दिनांक 27.09.2019

2/ वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर 2019।

उपरोक्त पत्र से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के अधीन क्रियाशील कमीशन एजेण्ट या व्यापारियों को बैंकों से नगद आहरण पर टी.डी.एस. कटौती से छूट प्राप्त होने के प्रावधान के बारे किया गया था।

2/ वर्तमान मे केन्द्रीय अधिनियम "कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020" के उपरांत मंडी प्रांगण के बाहर किसी भी पैन कार्ड धारी व्यक्ति को कृषि उपज व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी भी मंडी प्रांगण के बाहर व्यापार कर सकते है।

उपरोक्त विषय मे स्पष्ट किया जाता है कि मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा केवल मंडी प्रांगण के भीतर किये गये संव्यवहारो के लिए, बैंको से नगद आहरण का प्रमाणन संबंधित मंडी के द्वारा किया जावेगा। मंडी प्रांगण के बाहर किए गए संव्यवहार, मंडी अधिनियम के अधिकार बाह्य होने के साथ–साथ, वित्त मंत्रालय की संदर्भित अधिसूचना के अंतर्गत सम्मिलित नही होगे।

कृपया सभी संबंधितो को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

7.12.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

letter 19-20

क्र./बी–6/नियमन/भुगतान/369/749 भोपाल,दिनांक 08/12/2020

प्रतिलिपि :–

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7.12.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल